<u>न्यायालयः–दिलीप सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,</u> <u>तहसील बैहर, जिला बालाघाट म.प्र.</u>

<u>आप.प्र.क—957 / 11</u> <u>संस्थित दिनांक—12.12.2011</u> <u>फाई.क.232503000012011</u>

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र बैहर, जिला बालाघाट म0प्र0

...अभियोजन।

विरुद्ध

राकेश राणा पिता भंवरलाल, जाति पंवार, उम्र–30 वर्ष, निवासी ग्राम दलवाड़ा, थाना बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)।

.....अभियुक्त।

-:: <u>निर्णय</u> ::-

-::<u>दिनांक-31.08.2017 को घोषित</u>::-

- 1— अभियुक्त पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279, 337, 338 का आरोप है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक—20.09.2011 को 16:20 बजे बैहर से गढ़ी रोड़ भेलवा टेक के पास पी.डब्लु.डी. मेन रोड़ थानांतर्गत बैहर में लोकमार्ग पर वाहन जय मां शादरा ट्रेवल्स की बस कमांक—एम.पी—50 / ई—0164 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्ण रीति से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित कर, उक्त वाहन को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्ण रीति से चलाकर पलटाकर आहत प्रेमलाल यादव, फुलवतीबाई परते, मीराबाई, नेपालिसंह, मनोहर यादव, कु. प्रीति मार्को, कुषमािसंह, चन्द्रकलाबाई, सोनवतीबाई, अमरिसंह, छन्नुसिंह, इतवारी को साधारण उपहित कारित कर, उक्त वाहन को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्ण रीति से चलाकर पलटाकर आहत कर, उक्त वाहन को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्ण रीति से चलाकर पलटाकर आहत जयन्त यादव को अस्थिभंग कर घोर उपहित कारित की थी।
- 2— अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि रामभजन साहू जब दिनांक—20.09.11 को थाना बैहर में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ थे, तब आरक्षक भगतिसंह कुंजाम द्वारा सी.एच.सी. बैहर से तहरीर लाकर दी थी तो उन्होंने आहत मनोहर यादव के कथन लेख किये थे, जिसमें उसने बताया था कि दिनांक—20.09.2011 को दिन के 4:10 बजे वह बैहर बस स्टेण्ड से जय मॉ शारदा बस ट्रेवल्स की बस कमांक—एम.पी—50/ई—0164 से उसके गांव गढ़ी

जा रहा था कि बैहर से गढ़ी रोड़ भेलवा टेक पर बस चालक ने बस को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर समय 4:20 बजे पलटा दी थी, जिससे उसके दाहिने तरफ कमर, हाथ एवं पैर में चोट लगी थी। बस चालक बस छोड़कर भाग गया था। घटना में आहत जयन्त यादव, नेपालिसंह गोंड, मीराबाई गोंड, फूलबती गोंड, प्रेमलाल यादव को भी चोटें आई थी। सभी आहतगण के कथन लेखबद्ध किये गए थे। अभियुक्त के विरूद्ध पुलिस थाना बैहर में अपराध कमांक—20/2017 का प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान उपरांत न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।

- 3— अभियुक्त को तत्कालीन पूर्व पीठासीन अधिकारी ने निर्णय के पैरा 1 में उल्लेखित धाराओं का अपराध विवरण बनाकर अपराध विवरण की विशिष्टीयां पढ़कर सुनाई व समझाई गईं थी तो अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया था एवं विचारण चाहा था।
- 4— अभियुक्त का धारा—313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण किये जाने पर अभियुक्त का कहना है कि वह निर्दोष है, उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त ने बचाव साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया था।
- 5— प्रकरण के निराकरण हेतू विचारणीय बिन्दू निम्नलिखित है:—
 - 1. क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक—20.09.2011 को 16:20 बजे बैहर से गढ़ी रोड़ भेलवा टेक के पास पी.डब्लु.डी. मेन रोड़ थानांतर्गत बैहर में लोकमार्ग पर वाहन जय मां शादरा ट्रेवल्स की बस कमांक—एम. पी—50 / ई—0164 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्ण रीति से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया था ?
 - 2. क्या अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्ण रीति से चलाकर पलटाकर आहत प्रेमलाल यादव, फुलवतीबाई परते, मीराबाई, नेपालिसंह, मनोहर यादव, कु. प्रीति मार्को, कुषमासिंह, चन्द्रकलाबाई, सोनवतीबाई, अमरिसंह, छन्नुसिंह, इतवारी को साधारण उपहित कारित किया ?
 - 3. क्या अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्ण रीति से चलाकर पलटाकर आहत जयन्त यादव को अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित किया था ?

विचारणीय बिन्दुओं का निष्कर्ष :-

- 6— साक्ष्य की पुनरावृत्ति नहीं हो इस कारण तीनों विचारणीय बिन्दुओं का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।
- आर.के. चतुर्वेदी अ.सा.13 का कथन है कि वह दिनांक—20.09.2011 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में खण्ड चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को भगत आरक्षक क्रमांक—136 थाना बैहर से आहत प्रेमलाल यादव, फुलवतीबाई, हीराबाई, नेपालसिंह, मनोहर, प्रीति मार्को, कुसमासिंह, चंद्रवतीबाई, शांतिबाई, अमलसिंह, धन्नोसिंह, इतवारी, जयन्त को मेडिकल परीक्षण के लिए लेकर आया था। चिकित्सक ने आहत प्रेमलाल यादव का मेडिकल परीक्षण करने पर चोट कमांक-1 एक मुंदी हुई चोट 2 इंच गुणा 1 इंच नीले रंग की दांए कूल्हे पर पाई थी। आहत फुलवतीबाई का मेडिकल परीक्षण करने पर चोट कमांक-1 एक मुंदी हुई चोट जो उसके दांए कंधे पर पाई थी। आहत हीराबाई का मेडिकल परीक्षण करने पर चोट क्रमांक–1 एक मुंदी हुई चोट जो दांए कूल्हे पर पाई थी, जिसका आकार एक इंच गुणा एक इंच था तथा चोट कमांक—2 एक मुंदी हुई चोट सिर के ऑक्सीपीटल भाग में थी। आहत नेपाल सिंह का मेडिकल परीक्षण करने पर चोट क्रमांक-1 एक मुंदी हुई चोट जो दांए कंधे पर थी, जिसका आकार एक इंच गुणा एक इंच, जो लाल नीले रंग का था तथा चोट क्रमांक-2 एक कटा-फटा घाव पीठ के दांए भाग में था, जिसका साईज आधा इंच गुणा आधा इंच था, चोट कमांक-3 एक कटा-फटा घाव दांई जांघ पर था, जिसका आकार आधा इंच गुणा आधा इंच चमडी पर था।
- 8— चिकित्सक आर.के. चतुर्वेदी अ.सा.13 ने आहत मनोहर का मेडिकल परीक्षण करने पर चोट कमांक—1 एक इंसाईज्ड चोट पीठ के दांए भाग पर स्केपुला के नीचे चौथी पसली के पास, जिसका आकर दो इंच गुणा आधा इंच गुणा आधा इंच था, चोट कमांक—2 एक इन्साईज्ड बोन पीठ के पीछे भाग में नीचे की तरफ, जिसका आकार एक इंच गुणा एक इंच गुणा आधा इंच था, चोट कमांक—3 एक इंसाईज्ड घाव दांए लंबर पर था, जिसका आकार आधा इंच गुणा आधा इंच एक चौथाई मांस पेशीयों तक था। सभी चोटों से तीव्र गित से रक्तस्राव हो रहा था। आहत प्रीति मार्को का मेडिकल परीक्षण करने पर चोट

कमांक-1 एक मुंदी हुई चोट जो दांए सीने पर थी, जिसका आकार एक इंच गुणा एक इंच था, चोट कमांक—2 एक मुंदी हुई चोट बांए पैर पर जिसका आकार एक इंच गुणा एक इंच था। आहत कुसमासिंह का मेडिकल परीक्षण करने पर चोट कमांक-1 एक मुंदी हुई चोट जो दांए कंधे पर थी, जिसका आकार एक इंच गुणा एक इंच था। आहत चंद्रवतीबाई का मेडिकल परीक्षण करने पर चोट क्रमांक-1 एक मुंदी हुई चोट जो दांए हाथ पर पाई थी, जिसका आकार दो इंच गुणा एक इंच, लाल नीले रंग का था। आहत शांतिबाई का मेडिकल परीक्षण करने पर चोट क्रमांक-1 एक मुंदी हुई चोट जो सिर के दांए टेम्बुरल भाग पर पाई थी, चोट कमांक—2 एक मुंदी हुई चोट दांए कंधे पर थी, जिसका आकार एक आधा इंच गुणा आधा इंच था। आहत अमलसिंह का मेडिकल परीक्षण करने पर चोट क्रमांक-1 एक खरोंच दांए कोहनी पर थी, जिसका आकार आधा इंच गुणा आधा इंच था। आहत धन्नोसिंह का मेडिकल परीक्षण करने पर चोट कमांक-1 एक मुंदी हुई चोट जो दांए सीने पर थी, जिसका आकार एक इंच गुणा एक इंच लाल-नीले रंग की थी। आहत इतवारी का मेडिकल परीक्षण करने पर चोट कमांक-1 एक मुंदी हुई चोट जो दांए कंधे पर थी, जिसका आकार आधा इंच गुणा आधा इंच था, चोट क्रमांक-2 एक मुंदी हुई चोट जो बांए सीने पर थी, जिसका आकार आधा इंच गुणा आधा था। आहत जयन्त का मेडिकल परीक्षण करने पर चोट क्रमांक-1 एक मुंदी हुई चोट जो दांए कंधे पर थी, जिसका आकार एक इंच गुणा एक इंच था, चोट कमांक-2 एक खरोंच चेहरे के बांए तरफ थी, जिसका आकार आधा इंच गुणा आधा इंच जो चमड़ी तक था। चिकित्सक ने आहत जयन्त को एक्सरे की सलाह दी थी। आहत जयन्त के दांए कंधे का एक्सरे करवाया गया, जिसका एक्सरे प्लेट कमांक-686 है। परीक्षण में आहत के दांए कंधे के क्लेविकल हड्डी में अस्थिभंग होना पाया था, जिस पर कोई कैलेश नहीं बना था। एक्सरे प्लेट आर्टिकल ए-1 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

9— चिकित्सक आर.के. चतुर्वेदी अ.सा.13 ने उनके अभिमत के अनुसार आहत प्रेमलाल यादव, फुलवतीबाई, हीराबाई, नेपालिसंह, प्रीति मार्को, कुसमािसंह, चंद्रवतीबाई, शांतिबाई, अमलिसंह, धन्नोिसंह, इतवारी को आई चोटें साधारण प्रकृति की पाई थी, जो आहतगण के मेडिकल परीक्षण के समय 4 से 6 घंटे के अंदर की थी, जो किसी कड़ी एवं बोथरी वस्तु से आना प्रतीत हो रही थी।

चिकित्सक के अभिमत अनुसार आहत मनोहर को आई चोटें ग्रीवस प्रकृति की थी, जो किसी हार्ड व शार्प वस्तु द्वारा पहुंचाई गई थी। चिकित्सक द्वारा दी गई आहतगण की मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट कमशः प्रदर्श पी—3 लगायत प्रदर्श पी—15 है, जिन पर कमशः ए से ए भाग पर चिकित्सक के हस्ताक्षर हैं।

10— प्रकरण में अब यह देखना है कि क्या अभियुक्त ने प्रकरण में जप्तशुदा बस को उतावलेपन से चलाकर घटना कारित कर आहतगण को उपहित कारित की थी।

11— इस संबंध में मनोहर यादव अ.सा.1 का कथन है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन के वर्ष की दीपावली के समय की 20 तरीख मंगलवार के दिन की है। घटना के समय वह सोनी बस से बैहर से ग्राम कुकर्रा उसके घर जा रहा था। बस को अभियुक्त चला रहा था। बस ग्राम बम्हनी फाटक के पास पहुंची थी तो बस पलट गई थी। बस को उसका चालक तेज गित से चला रहा था। बस के पलट जाने से उक्त साक्षी की पसली, सिर, दाहिने हाथ में चोट आई थी। बस में 27—28 लोग सवार थे। न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त ही बस को चला रहा था। दुर्घटना बस चालक की गलती से हुई थी। दुर्घटना के बाद साक्षी बेहोश हो गया था, होश आने पर उसने स्वयं को शासकीय अस्पताल में भर्ती होना पाया था, वहां पर उसका ईलाज हुआ था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी का कथन है कि उसने घटना की रिपोर्ट थाने में नहीं की थी। साक्षी को बैहर बस स्टेण्ड में पता चला था कि बस को अभियुक्त चला रहा था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका—3 में यह अस्वीकार किया है कि बस को अभियुक्त तेज गित से नहीं चला रहा था।

12— मीराबाई अ.सा.2, धन्नूसिंह अ.सा.6, इतवारी अ.सा.7, प्रेमलाल अ.सा.8, नेपाल अ.सा.10, चन्द्रकला अ.सा.12, अमरसिंह अ.सा.17 का कथन है कि वह अभियुक्त को नहीं जानते हैं। मीराबाई अ.सा.2, फूलवतीबाई अ.सा.3 ने उनकी साक्ष्य में यह बताया था कि वह बस में बैठकर ग्राम बिरवा से ग्राम कोयलीखापा जा रहीं थीं, तब बस भेलवा घाट में पलट गई थी, जिससे साक्षी मीराबाई अ.सा. 2 को कमर में तथा साक्षी फूलवतीबाई अ.सा.3 को दाहिने बक्खें में चोट आई थी। साक्षीगण को बैहर अस्पताल में ईलाज के लिए लाया गया था। साक्षीगण का कथन है कि बस कौन चला रहा था, साक्षीगण नहीं देख पाई थी।

प्रतिपरीक्षण में साक्षी मीराबाई अ.सा.2 एवं फूलवतीबाई अ.सा.3 का कथन है कि बस घटनास्थल भेलवाघाट से चढ़ाई चढ़ रही थी। घाट चढ़ते समय बस धीरे—धीरे चल रही थी और घाट चढ़ते समय बस कैसे पलट गई थी, साक्षीगण को पता नहीं है। साक्षीगण बस में सामने नहीं बैठी थी, पीछे बैठी थी।

13— धन्नूसिंह अ.सा.६, इतवारी अ.सा.७, प्रेमलाल अ.सा.८ कथन है कि घटना उनके न्यायालयीन कथन के एक वर्ष पूर्व की शाम के 5:00 बजे की है। घटना के समय वह सोनी बस में बैठकर धन्नूसिंह अ.सा.६, इतवारी अ.सा.७ बैहर से हट्टा पिण्डी जा रहें थे तथा प्रेमलाल अ.सा.८ बैहर से गढ़ी जा रहा था। साक्षीगण ने उनकी साक्ष्य में बताया है कि बस चालक बस को तेज गित से चलाते हुए ला रहा था। बस के आगे भैंस आ गई थी, जिससे बस चालक ने अचानक ब्रेक लगाया था, जिससे साक्षीगण व अन्य को चोटें आई थी। साक्षीगण को बस का नंबर याद नहीं है। साक्षीगण का बैहर अस्पताल में ईलाज हुआ था। पुलिस ने साक्षीगण के बयान लिये थे। उक्त दुर्घटना बस चालक की गलती से हुई थी। उन्होंने बस चालक से कहा था कि बस धीरे चलाओं, किन्तु बस चालक ने नहीं सुना था। प्रतिपरीक्षण में साक्षीगण का कथन है कि बस धीरे—धीरे भेलवा घाट चढ़ रही थी। अचानक सामने से भैंस आ गई थी। बस के चालक ने भैंस को बचाने के लिए बस का ब्रेक लगाया था, जिससे बस अनियंत्रित होकर पलट गई थी। पुलिस ने साक्षीगण के बयान लिये थे।

14— प्रीति मार्को अ.सा.१ का कथन है कि वह अभियुक्त को जानती है। घटना वर्ष 2011 की है, वह सोनी बस में बैहर से पाण्डुतला जा रही थी। रास्ते में बोदे आ जाने के कारण उनको बचाने के लिए अभियुक्त ने बस को साईड में की थी, तो बस पलट गई थी। गाड़ी को अभियुक्त धीमी गति से चला रहा था। दुर्घटना में साक्षी को सिर पर चोट लगी थी, साक्षी का ईलाज बैहर अस्पताल में हुआ था। साक्षी को बस का नंबर नहीं पता है। दुर्घटना चालक की गलती से हुई थी। साक्षी ने पुलिस को बयान दिए थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी का कथन है कि वह बस में सामने की ओर ड्राईवर के पास बाली सीट पर बैठी थी। घटनास्थल पर अभियुक्त बस को धीरे—धीरें सावधानीपूर्वक चला रहा था। अभियुक्त ने घटना के संबंध में कोई गलती नहीं की थी। साक्षी ने दुर्घटना ड्राईवर की

ENTER SI

गलती से हुई थी होने वाली बात बताई थी, वह कौन सी गलती थी, साक्षी को पता नहीं है। अभियुक्त ने घटना के समय बोदों को बचाया था।

15— नेपाल अ.सा.10 का कथन है कि घटना वर्ष 2011 की शाम के तीन बजे की भेलवा टिकरा के पास की है। वह सोनी बस में बैहर से कुकर्रा जा रहा था। साक्षी बस में पीछे बैठा था, इस कारण बस के चालक को नहीं देख पाया था। रास्ते में बोदे आने के कारण उन्हें बचाने के लिए चालक ने बस को साईड में की थी तो बस पलट गई थी। गाड़ी को अभियुक्त धीमी गति से चला रहा था। दुर्घटना में साक्षी के सीने, दाहिने हाथ व सिर में चोट लगी थी। साक्षी का ईलाज बैहर अस्पताल में हुआ था। साक्षी को बस का नंबर पता नहीं है। दुर्घटना ड्राईवर की गलती से हुई थी। पुलिस को साक्षी ने बयान दिए थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि वह बस में पीछे की ओर बैठा था, वहां से ड्राईवर नहीं दिख रहा था। इस कारण साक्षी को पता नहीं है कि ड्राईवर की गलती थी या नहीं। घटना के बाद साक्षी बस से उतरा था, तब उसे पता चला था कि सामने बोदे आए थे, इस कारण अभियुक्त ने ब्रेक लगाया था, तो दुर्घटना हुई थी। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया कि बस का चालक बस को धीरे—धीरे एवं सावधानीपूर्वक चला रहा था।

16— सोमबती अ.सा.11 का कथन है कि उसे घटना की जानकारी नहीं है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी की साक्ष्य में ऐसे तथ्य नहीं आए है, जिससे अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन होता हो।

17— चन्द्रकला अ.सा.12 का कथन है कि घटना न्यायालयीन कथन से दो—तीन वर्ष पूर्व की है। घटना दिनांक को वह बैहर से सोनी बस में बैठकर उसके गांव संजारी जा रहा थी। बस बैहर से आगे निकली थी तो बस के चालक ने बस को तेज गित से चलाकर बस को पलटा दिया था, जिससे साक्षी की छाती में, हाथ में चोट लगी थी। घटना के समय बस कौन चला रहा था, साक्षी ने नहीं देख पाई थी। साक्षी का ईलाज शासकीय अस्पताल बैहर में हुआ था। पुलिस ने साक्षी के बयान लिये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि बस बैहर से निकली थी, तब दो—तीन किलोमीटर बाद दुर्घटना हो गई थी। बस घाट चढ़ रही थी, घाट होने की वजह से बस धीरे—धीरे चल रही थी।

18— कुसमा तेकाम अ.सा.16 का कथन है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन से 6-7 वर्ष पूर्व की है। वह और प्रीति बैहर से सोनी बस में बैठकर ग्राम पाण्डुतला जा रहीं थीं। घटना के समय अचानक भैंस आ गई थी, तब गाड़ी पलट गई थी, जिससे साक्षी के पैर एवं प्रीति को कंधे और अन्य लोगों को चोट लगी थी। अस्पताल का चलित वाहन रास्ते से आ रहा था, उसी वाहन में अभियुक्त को बैहर अस्पताल ईलाज के लिए लेकर आए थे। पुलिस ने साक्षी के घटना के संबंध में बयान लिये थे। घटना में किसकी गलती थी, साक्षी को पता नहीं है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया कि जिस बस से उसका एक्सीडेन्ट हुआ था, उस बस का नंबर-एम.पी-50 / ई-0164 था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि बस के ड्राईवर ने बस को लापरवाहीपूर्वक चलाया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बताया है कि घटनास्थल पर बस घाट धीरे-धीरे चढ़ रही थी, तब अचानक भैंस आ गई थी, तब ड्राईवर ने बस का ब्रेक लगाकर बस को रोका था, तब बस रूकने से पलट गई थी। बस के ड्राईवर ने बस को तेजी से नहीं चलाया था। दुर्घटना में अभियुक्त की कोई लापरवाही नहीं थी।

19— अमरसिंह अ.सा.17 का कथन है कि घटना न्यायालयीन कथन से 5—6 वर्ष पूर्व मंगलवार के दिन की 2—3 बजे के आसपास की ग्राम कोहका हाबा के आगे रोड की है। सोनी बस तेजी से बैहर से गढ़ी की ओर जा रही थी। साक्षी बस में बैठकर जा रहा था। बस का नंबर साक्षी को पता नहीं है। बस को कौन ड्राईवर चला रहा था, साक्षी को उसका नाम पता नहीं है। बस के सामने अचानक भैंस आ गई थी। बस चालक बस को किनारे से काट रहा था, तब बस पलट गई थी, जिससे सभी लोग घबरा गए थे। साक्षी के कान में बस के कांच घुस गए थे। बस तेज गित में थी। साक्षी को बैहर अस्पताल लेकर आए थे। पुलिसवालों ने साक्षी के बयान लिए थे। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षिविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने उसके बयान में बताया था कि वह बस क्रमांक—एम.पी—50/ई—0164 सोनी बस में बैठकर ग्राम कोयलीखापा जा रहा था। करीब 4:30 बजे गढ़ी रोड भेलवा टेक के पास सोनी बस क्रमांक—एम.पी—50/ई—0164 को बस के चालक ने तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाकर बस को पलटा दिया था। साक्षी के पुलिस

कथन प्रदर्श पी—22 में यह लिखा है कि बस के चालक ने बस को तेज गित लापरवाहीपूर्वक चलाकर पलटा दिया था। साक्षी के बयान प्रदर्श पी—22 में केवल आरोपी शब्द नहीं लिखा है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि घटना के समय बोदे रोड पर आए थे तो बस के ड्राईवर ने बस को धीमा किया था और बस को काटने लगा था। घटना के समय बारिश हो रही थी। बस बाजू में कटी थी और बस सिलीप होकर गिर गई थी। बस के चालक की कोई लापरवाही नहीं थी। साक्षी ने बताया कि वह घटना के बारे में पहली बार जानकारी दे रहा है। साक्षी ने यह भी बताया है कि जैसे हर समय बस घटनास्थल के घाट पर चढ़ती है, उसी धीमी रफ्तार से बस घटनास्थल पर चल रही थी।

20— रविदास अ.सा.5 का कथन है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन से डेढ़ वर्ष पूर्व की है। घटना दिनांक को वह चिलत अस्पताल के वाहन का चालक था। घटना दिनांक को वह गढ़ी से वापस बैहर आ रहा था। बैहर की ओर से एक बस गढ़ी की ओर जा रही थी, जिसको अभियुक्त चला रहा था। भेलवा टेक के पास अभियुक्त की बस पलट गई थी, तब सवारी ने बताया था कि अभियुक्त बस को धीरे चला रहा था, हेंगर बोल्ट टूटने के कारण बस पलट गई थी। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया है कि हेंगर बोल्ट की जानकारी कोई मैकेनिक ही रख सकता है। यह साक्षी घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। इस साक्षी की साक्ष्य से घटना का समर्थन नहीं होता है।

21— सालिकराम अ.सा.18 का कथन है कि उसे घटना की दिनांक पता नहीं है। घटना दिन के 4:15 बजे ग्राम कोहका ढ़ाबा के आगे जंगल में महुआ के पेड़ के पास की है। साक्षी सोनी बस में जा रहा था। साक्षी सोनी बस में हेल्परी का कार्य करता है। बस से जाते समय रोड के किनारे बोदे चर रहे थे, अचानक एक बोदा रोड के सामने आ गया था। ड्राईवर ने बस को काटा था तो बस कटी नहीं थी, पलट गई थी। साक्षी के सामने बस क्रमांक—एम. पी—50/ई—0164 प्रदर्श पी—19 के जप्ती पंचनामा के अनुसार जप्त की गई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि घटना के समय बस धीमी गित से चल रही थी। घटना में अभियुक्त बस चालक की कोई गलती नहीं थी।

22— महिपाल अ.सा.20 का कथन है कि घटना के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। घटनास्थल से उसके सामने बस जप्त नहीं हुई थी एवं कागज भी जप्त नहीं हुए थे। प्रदर्श पी—19 का जप्तीपंचनामा साक्षी के सामने नहीं बनाया गया था इस साक्षी के सामने अभियुक्त को गिरफ्तार भी नहीं किया गया था। प्रदर्श पी—19 के जप्तीपंचनामा एवं प्रदर्श पी—21 के गिरफ्तारी पंचनामा पर साक्षी ने उसके हस्ताक्षर होने से इंकार किया है। साक्षी को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने प्रदर्श पी—19 के जप्तीपंचनामा एवं प्रदर्श पी—21 के गिरफ्तारी पंचनामा की कार्यवाही का समर्थन नहीं किया है।

23— बुधराम अ.सा.21 का कथन है कि घटना उसके न्यायालयीन कथनों से 4—5 वर्ष पूर्व की है। उसको बैहर थाने का मुंशी बता रहा था कि अभियुक्त से बस के कागज जप्त कर रहे हैं, किन्तु साक्षी के सामने बस के कागज जप्त नहीं किये थे। साक्षी को पुलिसवालों ने बताया था कि जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी—20 है एवं उसके सामने अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी—21 बनाया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन पक्ष द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने जप्ती की कार्यवाही का समर्थन नहीं किया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बताया है कि उसके सामने बस एवं बस से संबंधित कागजातों की जप्ती नहीं हुई थी। साक्षी को पुलिसवालों ने बताया था कि बस एवं बस के कागजात जप्त किये हैं। साक्षी को उक्त बात बताकर प्रदर्श पी—20 के दस्तावेजों पर उसके हस्ताक्षर ले लिए गए थे। साक्षी ने उसके समक्ष अभियुक्त की गिरफ्तारी होने का समर्थन नहीं किया है।

24— डी.के. राउत अ.सा.14 का कथन है कि वह दिनांक—09.11.11 को जिला चिकित्सालय बालाघाट में रेडियोलॉजिस्ट के पद पर पदस्थ थे। दिनांक—21.09. 11 को एक्सरे टेक्निशियन ए.के. सेन ने आहत मनोहर का एक्सरे किया था, जिसका एक्सरे प्लेट कमांक—3457 है। आहत को चिकित्सक गजिभये ने एक्सरे के लिए रेफर किया था। एक्सरे प्लेट का परीक्षण करने पर उक्त साक्षी ने आहत के सीने की हड्डी में कोई अस्थिभंग होना नहीं पाया था। साक्षी की परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी—16 है, जिसके अ से अ भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं।

25— रामभजन साहू प्रधान आरक्षक अ.सा. 15 का कथन है कि दिनांक-20.09. 11 को थाना बैहर में पदस्थ रहते हुए अस्पताल से तहरीर प्राप्त होने पर रोजनामचा सान्हा क्रमांक-685 दिनांक-20.09.11 आमद अस्पताली मेमो की जांच की थी। जांच के समय उक्त साक्षी द्वारा फरियादी मनोहर यादव एवं अन्य आहतगण का मेडिकल परीक्षण कराया था। मेडिकल परीक्षण के उपरान्त फरियादी मनोहर के कथन लिये थे, जिसमें उसने बताया था कि दिनांक-20.09. 11 को एक्सीडेन्ट हो गया था। गाड़ी का नंबर एम.पी-50 / ई-0164 था। उक्त वाहन के चालक ने तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक वाहन को पलटा दिया था एवं घटनास्थल से चालक भाग गया था, जिसके संबंध में उक्त साक्षी ने जांच की थी एवं अभियुक्त के विरूद्ध अपराध क्रमांक-95 / 11 का प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रदर्श पी-17 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी। अनुसंधान के समय रविदास सोनवाने की सूचना पर दिनांक—21.09.11 को घटनास्थल पर जाकर उसकी निशानदेही पर मौकानक्शा प्रदर्श पी-18 बनाया था, जिसके अ से अ भाग पर उक्त साक्षी के हस्ताक्षर हैं एवं बी से बी भाग पर रविदास सोनवाने के हस्ताक्षर हैं। साक्षी द्वारा आहतगण का मेडिकल फार्म भरकर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में आहतगण का मेडिकल परीक्षण कराया था, मेडिकल परीक्षण फार्म प्रदर्श पी-6 लगायत प्रदर्श पी-15 है।

26— रामभजन साहू प्रधान आरक्षक अ.सा. 15 का यह भी कहना है कि दिनांक—21.09.11 को घटनास्थल महिपाल टाकरे एवं सालिकराम के सामने बस कमांक—एम.पी—50 / ई—0164 प्रदर्श पी—19 के जप्तीपंचनामा के अनुसार क्षितग्रस्त हालत में बस को जप्त की थी, जिसमें सामने माँ शारदा लिखा था एवं अभियुक्त से साक्षीगण महिपाल टाकरे एवं बुधराम के समक्ष बस कमांक—एम. पी—50 / ई—0164 का रजिस्ट्रेशन, फिटनेस सर्टिफिकेट, अनुज्ञापत्र, बीमा, चालक का ड्राईविंग लायसेंस जप्त कर जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी—20 बनाया था। उक्त दिनांक को अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी—21 बनाया था। जप्तशुदा वाहन का मैकेनिकल परीक्षण साक्षी ने मैकेनिक से कराया था। साक्षी ने वाहन मालिक को धारा—133 मो.व्ही.एक्ट का नोटिस दिया था, जिसमें उसने बताया था कि बस कमांक—एम.पी—50 / ई—0164 को अभियुक्त चला रहा था। साक्षी ने रविदास सोनवाने एवं आहतगण के कथन उनके बताए अनुसार

लेख किये थे। विवेचना के समय आहत जयन्त यादव को अस्थिभंग होना पाया गया था। इस साक्षी ने उसके अनुसंधान की पुष्टि की है।

27— रामअवतार सोनी अ.सा.19 ने उसकी साक्ष्य में बताया है कि वह अभियुक्त को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से पांच वर्ष पूर्व की है। अमित राज बस ट्रेवल्स का वह मालिक है। घटना के समय बस को अभियुक्त चला रहा था। अभियुक्त जिस बस को चला रहा था, उस बस का नंबर—एम.पी—50/0164 था। उक्त बस का साक्षी स्वामी है। साक्षी ने पुलिस थाना बैहर द्वारा मांगे जाने पर प्रदर्श पी—23 का आवेदन दिया था। उक्त आवेदन में यह लिखा था कि घटना के समय अभियुक्त बस नंबर—एम. पी—50/0164 को चला रहा था। जिस दिन घटना हुई थी, उस दिन साक्षी की बस नंबर—एम.पी—50/0164 को अभियुक्त चला रहा था। प्रदर्श पी—23 के आवेदन के ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं।

28— सलीम खान अ.सा.22 का कथन है कि वह ड्राईवरी करता है। उसने मॉ शारदा ट्रेवल्स की बस कमांक—एम.पी—50 / ई—0164 की मैकेनिकल जांच की थी। बस के सामने के हैंगर बोल्ट टूट गए थे, वाहन का स्टेयरिंग चालू था, वाहन का ब्रेक, क्लच, एक्सीलेटर, पिट्टिये सही थे। साक्षी को बैहर थाने वालों ने बुलाया था, इसिलए साक्षी ने बस की मैकेनिकल जांच की थी। साक्षी की परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी—24 है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बताया है कि उसने प्रदर्श पी—24 की रिपोर्ट पर केवल हस्ताक्षर किये थे, बी से बी भाग पर उसके द्वारा नहीं लिखा गया है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी—24 की परीक्षण रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करते समय उसने बी से बी भाग पढ़कर नहीं देखा था। साक्षी ने पुलिस के कहने पर हस्ताक्षर कर दिये थे। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि बस एक्सीडेन्ट होकर पलट गई थी। साक्षी ने यह बताया है कि हैंगर के बोल्ट टूटे होने से वाहन का स्टेयरिंग एक तरफ खींच जाता है।

29— प्रश्नाधीन प्रकरण में प्रकरण के आहत मीराबाई अ.सा.2, फूलवतीबाई अ. सा.3, धन्नूसिंह अ.सा.6, इतवारी अ.सा.7, प्रेमलाल अ.सा.8, प्रीति मार्को अ.सा.9, नेपाल अ.सा.10, सोमवती अ.सा.11, चन्द्रकलाबाई अ.सा.12, कुषमा अ.सा.16, अमरसिंह अ.सा.17 एवं सालिकराम अ.सा.18 बस के हेल्पर ने उनकी साक्ष्य में

स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया है कि अभियुक्त ने घटना कारित की थी। इन साक्षियों की साक्ष्य से घटना का समर्थन नहीं होता है, परंतु आहत मनोहर यादव अ.सा.1 एवं आहत जयन्त यादव अ.सा.4 ने उनकी साक्ष्य में स्पष्ट रूप से यह बताया है कि अभियुक्त ने बस को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक चलाकर घटना कारित की थी। जयन्त यादव अ.सा.४ ने उसकी साक्ष्य में घटना के संबंध में अभियुक्त की पहचान सुनिश्चित कर घटना कारित करने वाली बस के नंबर भी बताए हैं। बस के स्वामी रामअवतार सोनी अ.सा.19 ने भी उसकी साक्ष्य में इस बात का समर्थन किया है कि घटना दिनांक को उसकी बस को अभियुक्त चला रहा था। उक्त साक्षी ने यह भी बताया है कि अभियुक्त घटना के समय उसकी बस को चला रहा था। रामअवतार अ.सा.19 की साक्ष्य से मनोहर यादव अ.सा.1 व जयन्त अ.सा.4 की इस साक्ष्य का समर्थन होता है कि अभियुक्त ने प्रकरण में जप्तशुदा बस से घटना कारित की थी। रामअवतार अ.सा.19 की साक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि अभियुक्त घटना के समय प्रकरण में जप्तशुदा बस कमांक-एम.पी-50 / ई-0164 को चला रहा था। बुधराम अ.सा.21 ने अभियुक्त की गिरफ्तारी का समर्थन किया है। मनोहर यादव अ.सा.1 एवं जयन्त अ.सा.4 की उपहतियों का समर्थन चिकित्सक आर.के. चतुर्वेदी अ.सा.13 की साक्ष्य एवं उनकी प्रदर्श पी-7 एवं प्रदर्श पी-15 की मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट से होता है। चिकित्सक की साक्ष्य से एवं आहत जयन्त की एक्सरे प्लेट आर्टिकल ए-1 से आहत जयन्त के दांए कंधे की अस्थिभंग का भी समर्थन होता है। मनोहर यादव अ.सा.1 व जयन्त यादव की साक्ष्य से इस बात का समर्थन होता है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर प्रकरण में जप्तशुदा वाहन को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन कर आहत मनोहर को टक्कर मारकर उसे साधारण उपहति एवं आहत जयन्त को टक्कर मारकर उसे घोर उपहति कारित की थी।

30— प्रकरण की उपरोक्त विवेचना में अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279, 337, 338 का आरोप प्रमाणित करने में सफल रहा है। अतः अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279, 337, 338 के आरोप में न्यायालय उठने तक का कारावास एवं क्रमशः 500/—, 500/—, 500/—रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशियों का भुगतान नहीं किये जाने पर अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता

की धारा–279, 337, 338 के आरोप में क्रमशः 15–15 दिन का साधारण कारावास भुगताया जावे।

- 31— प्रकरण में अभियुक्त का धारा—428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न किया जावे।
- अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
- 33— प्रकरण में जप्तशुदा बस आवेदक की सुपुर्दगी पर है। सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात आवेदक के पक्ष में समाप्त समझा जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(दिलीप सिंह)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट

(दिलीप सिंह)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला-बालाघाट

